सत्यमेव जयते

# न्यायालय

# सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

## गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024/106 दर्ज तिथिः– 26.03.2024

1. भागीरथ पुत्र सुरताराम
2. तुलसाराम पुत्र सुरताराम
3. जयकिशन पुत्र सुरताराम
4. श्रीराम पुत्र सुरताराम
   जाति विश्नोई निवासी भीलों की ढाणी बारासण तहसील गुडामालानी बाडमेर

.....वादी

बनाम

1. भाखराराम पुत्र वरसींगाराम
2. गोरखाराम उर्फ तुलसाराम
3. जयकिशन पुत्र वरसींगाराम
   जाति विश्नोई निवासी भीलों की ढाणी बारासण तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
4. अधिशाषी अभियंता नर्मदा नहर परियोजना वृत सांचौर जिला सांचौर राज.
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसील गुडामालानी
6. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा गुडामालानी

.....प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री राजेश जाणी
श्री जगदीश कडवासरा
प्रतिवादीः– एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

**–:निर्णयः–**

निर्णय तिथिः–02.12.2024

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी ने निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड वाद ग्रस्त आराजी खसरा संख्या 932/25.02 बीघा, 941/13.45 बीघा, 942/16.04 बिस्वा मौजा भीलों की ढाणी पटवार मण्डल बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त आराजी सोना वल्द भूता कौम दारोगा की खातेदारी आराजी थी। दिनांक 19.05.1965 को पंजीकृत बेचाननामा के जरिये वादीगण के पिता

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.05 20:21:37 IST
Reason: SelfAttested

सुरताराम व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के पिता वरसींगाराम ने उक्त आराजी सोना वल्द भूता कौम दारोगा से खरीद की थी। दिनांक 19.05.1965 को पंजीकृत बेचाननामा के अनुसार खसरा संख्या 932/25–02 बीघा व खसरा संख्या 932 के लगते हुए ही खसरा संख्या 941/13–45 बीघा में से 02 बीघा 04 विस्वा कुल भूमि रकबा 27 बीघा 06 विस्वा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के पिता वरसींगाराम ने खरीद की थी। खसरा संख्या 941/13–45 बीघा में से 02 बीघा 04 विस्वा के बेचान का पृथक से खसरा संख्या 941/1/02 बीघा 04 विस्वा कायम किया गया परन्तु राजस्व नक्शे में अंकन/तरमीम नहीं की गई।

2. साथ ही दिनांक 19.05.1965 को पंजीकृत बेचाननामा के अनुसार खसरा संख्या 941/13–45 बीघा में से 02 बीघा 04 विस्वा के उक्त बेचान के पश्चात शेष भूमि रकबा 11 वीघा 01 विस्वा तथा खसरा संख्या 942/16–04 बीघा कुल भूमि रकबा 27 बीघा 05 विस्वा वादीगण संख्या 01 से 03 के पिता वरसींगाराम ने खरीद की थी।

3. वर्ष 2010–11 में नर्मदा नहर परियोजना हेतु भूमि आवप्ति की कार्यवाही में नहर का निर्माण वादीगण के खसरा संख्या 941 में रकबा 08 विस्वा एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के खसरा संख्या 941/1/2 बीघा 04 विस्वा व खसरा संख्या 932 में रकबा 1.01 बीघा पर किया हुआ है। परन्तु नर्मदा नहर परियोजना हेतु भूमि आवप्ति की कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के खसरा संख्या 941/1/2 बीघा 04 विस्वा का राजस्व नक्शें में दर्ज नहीं होने के कारण भूमि आवप्ति की कार्यवाही मूल खसरा संख्या 941 में से 2 बीघा 12 विस्वा की जाकर उक्त भूमि नर्मदा नहर विभाग के नाम दर्ज कर दी गई। इस प्रकार भूमि आवप्ति की कार्यवाही मूल खसरा संख्या 941 में से 08 विस्वा तथा शेष अवाप्ति प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के खसरा संख्या 941/1/2 बीघा 04 विस्वा में से हुई।

4. इस प्रकार वादीगण की खातेदारी में दर्ज खसरा संख्या 941 में से 2 बीघा 04 विश्वा भूमि राजस्व रिकॉर्ड कम कर उक्त भूमि नर्मदा नहर विभाग के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के खसरा संख्या 941/1/02 बीघा 04 विस्वा में से कम कम कर उक्त भूमि नर्मदा नहर विभाग के नाम दर्ज होनी थी। वर्तमान में खसरा संख्या 941/1/02 बीघा 04 विस्वा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अतः वर्तमान में खसरा संख्या 941/1/02 बीघा 04 विस्वा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज को कलमजन किया जाकर खसरा संख्या 941/1/02 बीघा 04 विस्वा पर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर जाने का निवेदन किया।

5. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में सभी प्रतिवादीगण के द्वारा असालतन वकालतन हाजिर न्यायालय होकर राजीनामा व इकबाल जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान में खसरा संख्या 941/1/02 बीघा 04 विस्वा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज को कलमजन किया जाकर खसरा संख्या 941/1/02 बीघा 04 विस्वा पर वादी को खातेदार घोषित किये जाने बाबत् प्रतिवादीगण सहमति प्रदान करते हैं। प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद का कोई बिन्दु पत्रावली पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.05 20:21:37 IST
Reason: SelfAttested

नहीं होने के कारण प्रकरण का प्रथम सुनवाई पर निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–15 नियम–01 में प्रावधान बनाये गये हैं। जिसका उद्धरण इस प्रकार हैः–

ORDER XV

Disposal of the Suit at the first hearing

**1. Parties not at issue.—**

*(1) Where at the first hearing of a suit it appears that the parties are not at issue on any question of law or of fact, the Court may at once pronounce judgment.*

6. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए वर्तमान में खसरा संख्या 941/1/02 बीघा 04 विस्वा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज को कलमजन किया जाकर खसरा संख्या 941/1/02 बीघा 04 विस्वा पर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर जाने का निवेदन किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा राजीनामा में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए वादी का दावा स्वीकार करने का निवेदन किया।

7. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि खाता संख्या 738 जमाबंदी संवत 2012–2031 मौजा गुडा खास व खाता संख्या 885 जमाबंदी संवत् 2012–2031 मौजा गुडा खास के अवलोकन अनुसार उक्त आराजी सोना वल्द भूता मूल खातेदार के नाम दर्ज है। तत्पश्चात नामांतकरण संख्या 211 व 212 मौजा गुडा खास द्वारा उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी में मुताबिक पंजीकृत बयनामा दर्ज की गई। पंजीकृत बयनामा संख्या 213 दिनांक 19.05.1965 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पंजीकृत बयनामा संख्या 213 दिनांक 19.05.1965 को पंजीकृत बेचाननामा के अनुसार खसरा संख्या 932/25–02 बीघा व खसरा संख्या 932 के लगते हुए ही खसरा संख्या 941/13–45 बीघा में से 02 बीघा 04 विस्वा कुल भूमि रकबा 27 बीघा 06 विस्वा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के पिता वरसींगाराम ने खरीद की थी।

8. साथ ही पंजीकृत बयनामा संख्या 212 दिनांक 19.05.1965 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 19.05.1965 को पंजीकृत बेचाननामा के अनुसार खसरा संख्या 941/13–45 बीघा में से 02 बीघा 04 विस्वा के उक्त बेचान के पश्चात शेष भूमि रकबा 11 वीघा 01 विस्वा तथा खसरा संख्या 942/16–04 बीघा कुल भूमि रकबा 27 बीघा 05 विस्वा वादीगण संख्या 01 से 03 के पिता वरसींगाराम ने खरीद की थी। तत्पश्चात नामांतकरण संख्या 757 दिनांक 15.10.2019 मौजा भीलों की ढाणी बारासण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी में दर्ज खसरा संख्या 941 में से 02 बीघा 12 विस्वा भूमि नर्मदा नहर जल संसाधन सिंचाई विभाग के नाम दर्ज की गई। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा वादी के दावे पर सहमति प्रदान की गई है। अतः

आदेश है कि

**वादीगण का दावा बाबत इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादीगण को मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 941/1/02**

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.05 20:21:37 IST
Reason: SelfAttested

बीघा 04 विस्वा मौजा भीलों की ढाणी तहसील गुडामालानी भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही वादी को उक्त आराजी को प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व इन्द्राज को रद्दोबदल कर स्वयं के नाम खातेदारी राजस्व इन्द्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 02.12.2024 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.05 20:21:37 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

## न्यायालय

# सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

## गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024/6 दर्ज तिथिः– 26.03.2024

1. भागीरथ पुत्र सुरताराम
2. तुलसाराम पुत्र सुरताराम
3. जयकिशन पुत्र सुरताराम
4. श्रीराम पुत्र सुरताराम
   जाति विश्नोई निवासी भीलों की ढाणी बारासण तहसील गुडामालानी बाडमेर

.....वादी

बनाम

1. भाखराराम पुत्र वरसींगाराम
2. गोरखाराम उर्फ तुलसाराम
3. जयकिशन पुत्र वरसींगाराम
   जाति विश्नोई निवासी भीलों की ढाणी बारासण तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
4. अधिशाषी अभियंता नर्मदा नहर परियोजना वृत सांचौर जिला सांचौर राज.
5. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा गुडामालानी
   जाति जाट निवासी तेजियावास तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

.....प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री जगदीश विश्नोई
श्री जगदीश कडवासरा
प्रतिवादीः– एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

**–:पर्चा डिक्रीः–**

वादीगण का दावा बाबत इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादीगण को मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 941/1/02 बीघा 04 विस्वा मौजा भीलों की ढाणी तहसील

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.05 20:21:37 IST
Reason: SelfAttested

गुडामालानी भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही वादी को उक्त आराजी को प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व इन्द्राज को रद्दोबदल कर स्वयं के नाम खातेदारी राजस्व इन्द्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

यह पर्चा—डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा—डिक्री आज दिनांक 02.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.05 20:21:37 IST
Reason: SelfAttested